

रिपोर्ट करने योग्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 108/2013

एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इससे पहले इसे मैसर्स अशोक मेटल डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

... अपीलकर्ता

**बनाम**

व्यापार कर आयुक्त, लखनऊ और अन्य।

... उत्तरदाता

**निर्णय**

**एम. आर. शाह, जे.**

1. आई.ए. संख्या 118667/2021 को अनुमति दी गई है। अपीलार्थी को वाद शीर्षक में अपना नाम मैसर्स अशोक मेटल डीकंसकोर प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड करने की अनुमति दी जाती है और तदनुसार आई.ए. का निस्तारण किया जाता है ।
2. 2004 के व्यापार कर संशोधन संख्या 275 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया है और विद्वत व्यापार कर न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है । बेंच, लखनऊ (जिसे इसमें इसके

बाद 'ट्रिब्यूनल'के रूप में संदर्भित किया गया है) और निर्धारण अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि विनिर्मित वस्तुओं के लिए, अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-ए (5) के तहत छूट का हकदार नहीं है (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम'के रूप में संदर्भित किया गया है), से आहत और असंतुष्ट महसूस करते हुए निर्माता-वादी (संशोधित) ने वर्तमान अपील पेश की है ।

3. संक्षेप में वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:-

3.1 अपीलकर्ता ने वर्ष 1986 में 'स्पन लाइन क्राउन कॉर्क'के निर्माण के लिए इकाई स्थापित की, जिसका उपयोग 'ग्लास बोतलों'की पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता था। अपीलकर्ता ने विविधीकरण कार्यक्रम के तहत डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन के निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 4-ए के तहत पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 24.05.2000 को मंडल स्तरीय समिति के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

3.2 दो सदस्यों की समिति वाली संयुक्त स्थल जांच के आधार पर, अपीलकर्ता को 'विविधीकरण'योजना के तहत पात्रता प्रमाण पत्र के बजाय 'आधुनिकीकरण'के तहत पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया था।

3.3 इस स्तर पर, यह नोट करना आवश्यक है कि यदि विनिर्मित माल को विविधीकरण योजना के तहत एक नए उत्पाद के रूप में माना जाता, तो अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 4-ए (5) के तहत छूट का हकदार था। अपीलकर्ता को छूट से इनकार किया गया । अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 4-ए के तहत दिनांक 10.12.2003 के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 10 के तहत व्यापार कर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया

कि दोनों उत्पादों (मौजूदा और नए) के लिए उपयोग की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया और मशीनरी अलग-अलग हैं।

3.4 अपीलार्थी की ओर से यह भी मामला बताया गया कि मौजूदा (पुराने) उत्पाद का निर्माण नई स्थापित मशीन पर नहीं किया जा सकता है और इसके विपरीत, नए उत्पाद का निर्माण पुरानी मशीन पर नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से यह भी बताया गया कि दोनों उत्पादों के लिए प्रमुख कच्चे माल एक समान नहीं है और दोनों उत्पादों का अंतिम उपयोग अलग-अलग है ।

3.5 यह कथन किया गया कि आधुनिकीकरण शब्द के तहत केवल वही इकाइयां आती हैं, जो आधुनिक तकनीकी रूप से समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और आधुनिकीकरण की योजना उन इकाइयों पर लागू नहीं होती हैं जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।

3.6 अपीलार्थी द्वारा की गई अपील खारिज कर दी गई। न्यायाधिकरण के समक्ष की गई दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई। यह विशेष रूप से माना गया था कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के तहत उत्पादित माल की प्रकृति यूनिट द्वारा पहले उत्पादित माल से अलग नहीं है, क्योंकि उत्पादित दोनों सामग्री का उपयोग बोटलों की पैकिंग में किया जाता है। क्योंकि विनिर्मित माल अलग-अलग नहीं हैं, लेकिन समान हैं और एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए अपीलें खारिज हो गईं। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, और इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई ।

4. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल यशवंत चित्तले ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील में शामिल

मुद्दा अधिनियम की धारा 4-ए (5) के स्पष्टीकरण 5 के संबंध में है, जो उन इकाइयों को व्यापार कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है, जिन्होंने 31 मार्च, 1995 को या उसके बाद अपनी इकाइयों में 'विविधीकरण' किया था।

4.1 यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता कांच की बोतलों को सील करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्राउन कॉर्क का निर्माता है। शुरू में, यह "स्पन लाइन क्राउन कॉर्क्स" का उत्पादन कर रहा था। हालांकि, बाद में, इसने 'डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन' के निर्माण के लिए विनिर्माण गतिविधि को विविधीकृत किया, जिसके लिए इसने नए संयंत्र और मशीनरी का आयात किया और 4.5 करोड़ रुपये की स्थिर पूंजी लागत का निवेश किया।

4.2 यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित किया जा रहा नया उत्पाद एक पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है, जिसमें पीवीसी कणों को कच्चे के रूप में उपयोग किया जाता है। नया उत्पाद पहले निर्मित स्पन लाइन क्राउन कॉर्क्स से अलग है।

4.3 यह तर्क दिया गया है कि नया उत्पाद पूर्व के विनिर्मित उत्पाद से पूर्णतया भिन्न उत्पाद है और उत्पाद का उपयोग भी भिन्न है। यह तर्क दिया गया है कि नया उत्पाद वाणिज्यिक भाषा में पूरी तरह से एक अलग उत्पाद था। केवल इस तथ्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है कि दोनों उत्पादों को आमतौर पर कॉर्क्स के रूप में जाना जाता है। यह तर्क भी दिया गया है कि इसी तरह यह तथ्य भी एक प्रासंगिक मापदंड नहीं होगा कि दोनों उत्पादों का उपयोग कांच की बोतलों को सील करने के लिए किया जाता है। मामले में जिस मापदंड को लागू किया जाना था वह यह है कि क्या माल पहले निर्मित माल से अलग था। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी व्यापार कर से छूट का दावा करने का

हकदार था क्योंकि उसने विविधीकरण किया है और अब विनिर्मित की जा रही वस्तुएं अर्थात डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन अपीलार्थी द्वारा पहले विनिर्मित वस्तुओं से अलग प्रकृति की हैं, जो एक अलग वाणिज्यिक वस्तु है ।

4.4 यह तर्क दिया गया है कि व्यापार कर अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 4-ए (5) के स्पष्टीकरण 5 और दिनांक 31.03.1995 की अधिसूचना का गलत अर्थ लगाया है, जिसके आधार पर अपीलकर्ता ने विविधीकरण के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र की मांग की थी।

4.5 यह तर्क दिया गया है कि विविधीकरण के आधार पर व्यापार कर से छूट का दावा करने का हकदार होने के लिए, माल पहले विनिर्मित वस्तुओं से भिन्न प्रकृति का होना चाहिए। व्यापार कर से छूट के लिए माल का अंतिम उपयोग अप्रासंगिक है। एक ही चीज के लिए अलग-अलग सामान का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वस्तुओं की प्रकृति समान है। यह कथन किया गया है कि केवल तथ्य यह है कि दोनों वस्तुओं को आमतौर पर कॉर्क के रूप में जाना जाता है, यह भी यह निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि क्या माल अलग-अलग वस्तुएं हैं।

4.6 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ वकील ने पहले के उत्पाद और बाद के उत्पाद में अंतर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । अपने इस कथन के समर्थन में कि नया उत्पाद पहले के उत्पाद की तुलना में पूरी तरह से एक अलग उत्पाद है, उन्होंने हमारा ध्यान दोनों उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में अंतर की ओर भी आकर्षित किया है।

4.7 यह कथन किया गया है कि व्यापार कर अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने गलती से एक नया मापदंड पेश किया है कि दोनों उत्पादों का उपयोग समान है। यह कथन किया गया है कि वस्तुओं के उपयोग का मापदंड न तो धारा में और न ही अधिसूचना में प्रदान किया गया है। धारा 4-ए (5) और अधिसूचना में केवल वस्तुओं की प्रकृति अलग होने की आवश्यकता है। यह कथन किया जाता है कि कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार, अधिसूचना में छूट को एक शाब्दिक अर्थ देने की आवश्यकता है। अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय के निर्णय हंसराज गोरदंदास बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 755 पारले बिस्कुट (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2005) 9 एस. सी. सी. 669 और सहायक आयुक्त (सी. टी.) एल. टी. यू. और अन्य बनाम अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, (2009) 8 एस. सी. सी. 209 का समर्थन किया गया।

4.8 उपर्युक्त कथनों को करते हुए और उपर्युक्त विनिश्चयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को मंजूर किया जाए।

5. वर्तमान अपील का प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भक्ति वर्धन सिंह द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है।

5.1 यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने कांच की बोतलों की पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले 'स्पन लाइन क्राउन कॉर्क'के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित की, जिसके कांच के बोतलों को बेचा जाना था। यह तर्क दिया गया है कि 'आधुनिकीकरण'के बाद, अपीलकर्ता ने 'कॉर्क'का निर्माण किया जिसका उपयोग कांच की बोतलों की पैकिंग सामग्री के रूप में भी किया जाता है।

5.2 यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम और अधिसूचना की धारा 4-ए (5) के तहत, ऐसी इकाई को व्यापार कर से छूट उपलब्ध होगी, जिसने विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण किया है और ऐसे उपक्रम द्वारा पहले विनिर्मित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया है। यह तर्क दिया गया है कि इसलिए, वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी की इकाई द्वारा विनिर्मित माल का विविधीकरण या आधुनिकीकरण हुआ है?

5.3 यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 4-क (5) के अधीन विविधीकरण के शीर्ष के अधीन लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा यह है कि विभिन्न प्रकृति के माल का उत्पादन किया जाना अपेक्षित है। यह तर्क दिया गया है कि धारा 4-ए के तहत जारी की गई अधिसूचना में भी छूट शब्दावली का उपयोग किया गया है और इसके परिणामस्वरूप विविधीकरण के लिए परीक्षण किसी वस्तु का उत्पादन है जो पहले उत्पादित की गई प्रकृति से अलग है।

5.4 यह तर्क दिया गया है कि धारा 4-क का खंड (5) भी विधिक स्थिति को स्पष्ट करता है। यह तर्क दिया गया है कि खंड (5) के शुरुआती वाक्य में विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण का उल्लेख किया गया है और फिर एक अलग उपखंड में स्पष्ट किया गया है कि विस्तार या आधुनिकीकरण का अर्थ उत्पादन में वृद्धि है और उसके बाद एक अन्य अलग उपखंड में यह स्पष्ट किया गया है कि विविधीकरण का अर्थ है कि एक अलग प्रकार की, विशिष्ट और अलग प्रकृति की वस्तुओं का उत्पादन, जैसा कि वाणिज्यिक सर्किल में समझा जाता है।

5.5 यह तर्क दिया गया है कि परीक्षण यह है कि वाणिज्यिक भाषा या वाणिज्यिक सर्किल में किसी वस्तु को कैसे समझा जाता है। यह तर्क दिया गया है कि निवेश प्रक्रिया से पहले अपीलकर्ता द्वारा निर्मित

वस्तुएं 'कॉर्क्स' नामक वस्तुओं की श्रेणी के तहत निहित विषय के अधीन थीं। निवेश अभ्यास के बाद, डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन का निर्माण केवल निवेश अभ्यास से पहले उत्पादित वस्तुओं की बड़ी हुई गुणवत्ता और मात्रा है। यह तर्क दिया गया है कि, इसलिए, निवेश केवल आधुनिकीकरण और विस्तार का एक अभ्यास था और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण नहीं किया गया था, अधिनियम की धारा 4-ए (5) और धारा 4-ए के तहत जारी अधिसूचना के तहत छूट का हकदार नहीं था।

5.6 आगे यह कथन किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन मात्र से अब अपीलार्थी की इकाई द्वारा विनिर्मित माल को इस तथ्य के कारण कि बोटलों को पैक करने के लिए माल का उपयोग किया जा रहा है, यूनिट द्वारा पहले विनिर्मित माल से भिन्न नहीं माना जा सकता है। यह कथन किया जाता है कि कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार, छूट अधिसूचनाओं का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

5.7 उपरोक्त तर्कों और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी द्वारा अब विनिर्मित माल को पहले विनिर्मित माल से अलग नहीं कहा जा सकता है और पहले विनिर्मित माल और नए का उपयोग कॉर्क के रूप में किया जाता है, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वत् वकील को विस्तार से सुना।

7. इस न्यायालय के विचारार्थ जो संक्षिप्त प्रश्न उठाया गया है वह इस प्रकार है:- -

"क्या आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निर्मित वस्तुओं के लिए विविधीकरण कहा जा सकता है, और पहले निर्मित वस्तुओं से अलग प्रकृति की वस्तुओं का निर्माण अपीलकर्ता को उत्तर प्रदेश व्यापार कर

अधिनियम की धारा 4-ए (5) के तहत प्रदान की गई व्यापार कर से छूट का दावा करने का अधिकार देता है?"

8. उपर्युक्त मुद्दे पर विचार करते समय, धारा 4-क के सुसंगत उपबंधों को, विशेष रूप से, धारा 4-क (2) (ग), धारा 4-क (5) (ख) (i) और (ii) और धारा 4-क (5) (ग) को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:- -

धारा 4-ए-कुछ मामलों में व्यापार कर से छूट

(1).....

(2) राज्य सरकार के लिए उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि कर की दर में छूट या कमी स्वीकार्य होगी -

(क) ....

(ख) ....

(खख) ....

(ग) केवल उन माल के संबंध में, जो किसी यूनिट में विनिर्मित किए जाते हैं, जिसने 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया है और जो विविधीकरण का मामला ऐसे विविधीकरण से पूर्व विनिर्मित माल से भिन्न है, और

(क) विस्तार या आधुनिकीकरण की दशा में ऐसे विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन होता है, और

(3) ....

(4) ....

(5) "यूनिट जिसने विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण आरंभ किया है"से ऐसा औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है-

(क) ....

(ख) जिसकी माल के उत्पादन की पहली तारीख -

**(i) विविधीकरण करने वाली यूनिटों के मामले में ऐसे उपक्रम द्वारा पहले विनिर्मित से भिन्न प्रकृति के, और**

विस्तार या आधुनिकीकरण करने वाली इकाइयों के मामले में 31 मार्च, 1990 के बाद किसी भी समय ऐसे उपक्रम में आधार उत्पादन से अधिक निर्मित जिसकी उत्पादन क्षमता, उपधारा (1) के परंतुक में यथा उपबंधित के सिवाय, विस्तार के परिणामस्वरूप कम से कम पच्चीस प्रतिशत बढ़ गई है या

(क) आधुनिकीकरण, या जहां पहले विनिर्मित माल से भिन्न प्रकृति के माल विविधीकरण के बाद विनिर्मित किए जाते हैं.

8.1 इस प्रकार, पूर्वोक्त उपबंधों के उचित पठन पर, यह स्पष्ट है कि विविधीकरण द्वारा विनिर्मित माल ऐसे विविधीकरण से पूर्व विनिर्मित माल से भिन्न होगा [धारा 4-क (2) (ग)]।

8.2 'विस्तार या आधुनिकीकरण'के मामले में छूट उपलब्ध होगी, यदि ऐसे आधुनिकीकरण या विस्तार के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त उत्पादन होता है। वर्तमान मामले में, हम विविधीकरण के मामले से संबंधित हैं इसलिए, विविधीकरण के बाद विनिर्मित वस्तुएं ऐसी विविधीकरण से पहले विनिर्मित वस्तुएं से भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए।कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार छूट अधिसूचना/छूट प्रावधान के मामले में इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए और

छूट का दावा करने वाले व्यक्ति को छूट प्रावधान की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए।

8.3 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कांच की बोतलों को सील करने के लिए उपयोग किए जाने वाले “स्पन लाइन क्राउन कॉर्क” का निर्माण/उत्पादन कर रहा था। आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ, अब अपीलकर्ता डबल लिप का निर्माण कर रहा है। ड्राई ब्लेंड क्राउन, जिसका उपयोग कांच की बोतलों को सील करने के लिए भी किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा निर्मित पहले के उत्पाद का उपयोग कांच की बोतलों को सील करने के लिए किया जाता था और बाद में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादित अतिरिक्त उत्पाद का उपयोग भी इसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, अर्थात् कांच की बोतलों को सील करना। इसलिए, इसे विविधीकरण से पहले विनिर्मित माल से अलग नहीं कहा जा सकता है। समय के साथ, प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए पुरानी मशीनरी के स्थान पर नई मशीनरी लगाई जाती है, तो इसे विस्तार और/या आधुनिकीकरण कहा जा सकता है, लेकिन इसे विविधीकरण नहीं कहा जा सकता है, जो इस तरह के विविधीकरण से पहले विनिर्मित वस्तुओं से अलग वस्तुओं का विनिर्माण है। विविधीकरण के मामले में, प्रभाव यह होना चाहिए कि उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और/या वृद्धि की जानी चाहिए, लेकिन यदि अंतिम उपयोग समान है, तो आधुनिक और/या उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्मित उत्पाद को व्यापार कर के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का निर्माण नहीं कहा जा सकता है। धारा 4-ए में उपयोग किए गए शब्द बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हैं। कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार और जैसा कि इसमें ऊपर कहा गया है, कानून और

विशेष रूप से छूट के प्रावधानों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं और उनका शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए। छूट के प्रावधान अर्थात् धारा 4-ए का शाब्दिक अर्थ देते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता छूट का हकदार है जैसा कि दावा किया गया है।

8.4 मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, जब अधिनियम के उपबंधों में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि विविधीकरण पर केवल ऐसे मामले में विचार किया जा सकता है जहां विभिन्न प्रकृति के माल का उत्पादन किया जाता है, और केवल तभी छूट उपलब्ध होगी। विविधीकरण के आधार पर निर्मित वस्तुएं अलग, अलग और अलग प्रकृति की होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, अग्रिम और/या आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्मित वस्तुओं को बिल्कुल भी एक अलग वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को छूट देने से इनकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हम उच्च न्यायालय के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

.....जे

[एम. आर. शाह]

.....जे

[कृष्ण मुरारी]

नई दिल्ली

9 जनवरी, 2023

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

**Disclaimer** : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.